

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

- अधिसूचना -

राँची, दिनांक-09.07.2018

संख्या-11/स्था0लो0से0आ0-10/2009(खण्ड-II)का0-5071/भारत के संविधान के अनुच्छेद-316 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल डॉ० सुखी उराँव, सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor), वाणिज्य विभाग, एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, राँची को पदभार ग्रहण करने की तिथि से झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नव नियुक्त सदस्य अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से छः वर्ष की अवधि तक या अधिकतम 62 (बासठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो अपना पदधारण करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


ह०/-

(ओम प्रकाश साह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-11/स्था0लो0से0आ0-10/2009 (खण्ड-II) का०-5071/राँची, दिनांक-09 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव।